

UNIVERSITY OF KOTA




रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-१९५८

क्रमांक: ए.ए.ए. ०७/१३/१३.१०

यह समाप्त किया जाता है कि नालन्दा एज्युकेशन सोसायटी, कोटा
जिला कोटा
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम
नं. २८, १९५८) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह समाप्त-यह मेरे हस्ताक्षरों और कर्तव्यमय को शीघ्र ही राज्य
दिनांक: ०१/०१/५८ को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती है।
जयपुर में दिया गया।



[Signature]
श्री. सी. भार्गव
रजिस्ट्रार संस्थाये, राजस्थान,
जयपुर।

[Signature]
SECRETARY
Nalanda Education Society
Anantpura, Kota

[Signature]

जिला शिक्षा अधिकारी (महिलाएं)
कोटा